संख्या :1660 / सत्रह–म–2013,6–9(198) / 2013

प्रेषक,

क्षेत्रपाल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक: 23 अगस्त,2013

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित निजी क्षेत्र की कार्यशील हैचरियों का सुदढीकरण परियोजना की गाइड लाइन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 335 / नियो0शा0 / आर0के0वी0वाई0 / दिनांक 28जून, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित निजी क्षेत्र की कार्यशील हैचरियों का सुदढीकरण परियोजना के क्रियान्वयन की निम्नलिखित दिशा–निर्देशों (गाइड लाइन्स) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

परियोजना का संक्षिप्त विवरण–

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में लगभग 209 हैचरियॉ स्थापित है, जिनके माध्यम से मत्स्य पालन के विकास हेतु मत्स्य बीज उत्पादन करते हुए प्रदेश के मत्स्य विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। मत्स्य बीज की निरन्तर मांग की पूर्ति एवं बड़े आकार के मत्स्य बीज के पोषण हेतु इन हैचरियों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए निरन्तरता के आधार पर मत्स्य पालकों को गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज उपलब्ध कराना परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ।

प्रदेश के निजी क्षेत्र की पूर्व स्थापित 200 कार्प हैचरियों का चार वर्षों में चरणबद्ध रूप में सुदृढ़ीकरण कार्य परियोजना में किया जायेगा, जिसके माध्यम से हैचरियों के नर्सरी क्षेत्रफल को बढ़ाकर, अनुवांशिक समस्याओं जैसे इनब्रीडिंग की समस्या का निदान करते हुए उत्तम प्रजाति के मत्स्य अभिजनको के समुचित प्रबन्धन की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए गुणवत्ता युक्त मत्स्य फ्राई एवं फिंगरलिंग के उत्पादन से मांग के अनुरूप निवेश की स्थानीय सुलभता को सुनिश्चित किया जा सकता है ।

परियोजना का कार्यक्षेत्र–

परियोजना में कुल 200 निजी क्षेत्र की विभाग द्वारा पूर्व में स्थापित कार्प हैचरियों का सुदृढ़ीकरण आगामी 04 वर्षो यथा 2013–14 से 2016–2017 तक 50 हैचरी प्रतिवर्ष लक्ष्य की दर से प्रावधान किया गया है। वर्ष 2013–14 में निम्नांकित चयनित मण्डलों में हैचरी का सुदृढ़ीकरण निम्न तालिका अनुसार कराया जायेगा :–

D.D.(P.)

संयुक्त निदेशक
मत्स्य

तालिका–1

क्र0सं0	मण्डल	कुल हैचरियों की संख्या	लक्ष्य			
			2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	लखनऊ	14	05	03	03	03
2	आगरा	04	.	01	01	01
3	अलीगढ़	02	.	.	01	.
4	मेरठ	05	01	01	01	02
5	मुरादाबाद	30	08	08	07	07
6	बरेली	13	03	03	03	02
7	झाँसी	05	01	01	01	01
8	इलाहाबाद	04	–	01	01	01
9	फैजाबाद	12	03	03	03	03
10	गोरखपुर	72	18	18	18	18
11	कानपुर	03	–	–	01	01
12	बस्ती	06	01	02	02	01
13	देवीपाटन	09	03	02	02	02
14	वाराणसी	11	03	03	03	02
15	आजमगढ	14	04	04	03	03
16	सहारनपुर	0	0	0	0	0
17	मिर्जापुर	03	–	–	–	02
18	चित्रकूट धाम	02	–	–	–	01
	कुल	209	50	50	50	50

लाभार्थी चयन हेतु समिति का गठन –

विभाग द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र की स्थापित कार्प हैचरियों के स्वामी के चयन जनपद स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा किया जायेगा :–

क– मुख्य विकास अधिकारी –अध्यक्ष
ख– मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य – सदस्य
ग– सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी –सदस्य सचिव

लाभार्थी चयन का मापदण्ड –

ऐसे हैचरी स्वामी पात्र होंगे जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हों :–

क– हैचरी स्वामी द्वारा विगत 04 वर्षो में संबंधित हैचरी के प्रति योजना में कोई भी वित्तीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त नहीं किया हो एवं वर्तमान में मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा हो ।

ख– उक्त कार्य की अभिरूचि, लगनशीलता, उद्यमशीलता एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत की धनराशि का खर्च स्वयं वहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए।

ग– विगत चार वर्षों का औसत मत्स्य बीज उत्पादन/वितरण के आंकड़े संबंधित व्यक्ति को देना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर उसकी कार्य क्षमता एवं कुशलता का आंकलन किया जा सके।

घ– हैचरी स्वामी द्वारा 10 रू0 के शपथ पत्र पर विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु सहमति दी जायेगी।

D.D.(P.)

संयुक्त निदेशक
मत्स्य

भौतिक कार्यपूर्ति का मापदण्ड–

1– हैचरी स्वामी के चयन के उपरान्त स्थल का प्रारम्भिक सर्वेक्षण मत्स्य पालक विकास अभिकरण के तकनीकी स्टाफ द्वारा किया जायेगा एवं निरीक्षण रिर्पोट सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

2– सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी के संयुक्त स्थलीय सत्यापन, फोटोग्राफी एवं अवर अभियन्ता से कार्य का स्टीमेट बनाने के उपरान्त निर्माण कार्य का प्रारम्भ लाभार्थी द्वारा अपने अंश धनराशि (25 प्रतिशत) से कराया जायेगा। उक्त कार्य की एम0बी0 उपरान्त अनुदान धनराशि लाभार्थी को दो किश्तों यथा 50:50 के अनुपात में उपलब्ध करायी जायेगी । प्रत्येक किश्त के उपरान्त अवर अभियन्ता से कार्य की एम0बी0 कराना अनिवार्य होगा ।

3– हैचरी स्वामी द्वारा परियोजान्तर्गत निम्न प्राकलन अनुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा:–

क्र0सं0	मद	संख्या	मूल्य/दर	धनराशि
1	**सुधार कार्य** क–ब्रीडिंग पूल ख–हैचिंग पूल ग–कलेक्शन चैम्बर घ–ओवर हेड टैंक ड़–पम्पसेट/पाइपिंग मरम्मत	 01 04 01 01 01	 5,000 5,000 3,000 4,000 3,000	 5,000 5,000 3,000 4,000 3,000
2	नर्सरियों का सुधार	05	15,000	15,000
3	रियरिंग पान्ड का सुधार	01	5,000	5,000
4	ब्रूड स्टॉक पान्ड का सुधार	01	10,000	10,000
	योग		**50,000**	**50,000**
5	25 प्रतिशत ब्रूडर्स का रिपलेसमेन्ट अर्थात 250 कि0ग्रा0 / 200/– प्रति कि0ग्रा0 प्रभावी दर क– नये ब्रूडर्स का वास्तविक मुल्य– 300/– ख– पुराने ब्रूडर्स की बिक्री मुल्य– 100/–	–	–	50,000
6	उच्च उत्पादकता वाली मत्स्य प्रजातियों यथा पंगेशियस आदि का क्रय।	–	–	20,000
7	पैकिंग सामग्री का क्रय एवं वितरण व्यवस्था	–	–	10,000
8	फीड, दवाई, जाल व आदि का क्रय	–	–	15,000
9	अन्य आकस्मिक व्यय	–	–	5,000
	कुल योग			**1,50,000**

परियोजना धनराशि रू0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रूपये)

उक्त परियोजना को स्थानीय आवश्यकतानुसार जनपदीय अधिकारी सम्बन्धित अवरअभियन्ता के द्वारा परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार कराकर कार्य सम्पादित कराया जायेगा ।

4– जनपदीय अधिकारी द्वारा परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार समय सारणी का निर्धारण किया गया है :–

D.D.(F.)

संयुक्त निदेशक
मत्स्य

क्र0सं0	कार्य का नाम	माह
1	योजना का प्रचार–प्रसार एवं हैचरी स्वामी का चयन	जुलाई व अगस्त 2013
2	स्थलीय सत्यापन, फोटोग्राफी एवं प्रांकलन तैयार कराना	सितम्बर 2013
3	लाभार्थी अंश की धनराशि के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ कराना	अक्टूबर 2013
4	द्वितीय व तृतीय किश्त के सापेक्ष कार्य सम्पन्न कराना	नवम्बर व दिसम्बर 2013
5	कार्य पूर्ण, सत्यापन एम0बी0 व फोटोग्राफी	दिसम्बर2013 व जनवरी 2014

परियोजना से अनुमानित आय/लाभ

1– परियोजना से हैचरी स्वामी मत्स्य बीज उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

2– हैचरी आच्छादन क्षेत्र के मत्स्य पालकों को सुगमता से स्थानीय रूप से वर्ष पर्यन्त मत्स्य बीज की उपलब्धता होगी।

3– उच्च प्रजातियों यथा पंगेशियस आदि मछलियों के बीज की उपलब्धता से मत्स्य पालकों की आय में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

4– ब्रूडर्स को स्थानापन्न करने से गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का उत्पादन करने तथा अनुवांशिक समस्याओं जैसे इनब्रीडिंग से निजात पाया जा सकेगा।

वित्त पोषण–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित इस परियोजना में विभागीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की हैचरियों के सुदृढ़ीकरण पर इकाई लागत 1.50 लाख होगी, जिसमें परियोजना के माध्यम से 75 प्रतिशत अनुदान एवं लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत व्यय भार स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा । इसके अतिरिक्त परियोजना के अन्य निवेश में होने वाले धनराशि का वहन लाभार्थी को स्वयं की धनराशि से वहन करना होगा ।

परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण–

परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण हैचरी स्वामी चयन, हैचरी सुदृढ़ीकरण, मत्स्य बीज उत्पादन एवं आपूर्ति के समय जनपद एवं मण्डल स्तर पर किया जायेगा, जिसका औचक सत्यापन समय–समय पर मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । परियोजना अवधि में महत्वपूर्ण घटना क्रमों का साक्ष्य फोटो/वीडियोग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित किया जायेगा ।

D.D.(P.)

संयुक्त निदेशक

परियोजना से सम्भावित आउटकम्स –

- गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज के माध्यम से मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि।
- रोजगार सृजन।
- मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहन।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

संख्या :1660(1)/सत्रह–म–6–9(198)/2013तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,कार्यालय (लेखा परीक्षा) प्रथम,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/सहायक निदेशक मत्स्य/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
6. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनु0–2 वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/नियोजन–3/ कृषि अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

संयुक्त निदेशक
मत्स्य

D.D.(P.)